[2023] 6 एस. सी. आर. 893

गणेश प्रसाद

वी.

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस।

(2023 की सिविल अपील संख्या 1699)

14 मार्च, 2023

[सुधांशु धूलिया और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VI, R. 17-या। IX, R. 8,9

- प्रत्यर्थी-वादी ने अपीलार्थी के खिलाफ मुकदमा दायर किया

एक घोषणा के लिए प्रतिवादी कि प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति के वैध मालिक हैं और किराए का भुगतान न करने और उप-किरायेदारी के निर्माण के आधार पर बेदखली की डिक्री-अपीलकर्ता प्रतिवादी ने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी के पिता-वादी मुकदमे की संपत्ति के गिरवीदार थे जिन्होंने अपीलकर्ता प्रतिवादी (गिरवी रखने वाले) के पिता के पक्ष में एक गिरवी विलेख निष्पादित किया था और इस तरह उनके पिता को मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में रखा गया था और मुकदमा विफल हो जाना चाहिए क्योंकि बंधक को भुनाया नहीं गया था-बाद में, मुकदमा गैर अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया-इसके बाद, प्रतिवादियों ने मुकदमे के लिए एक और मुकदमा दायर किया। बन्धक का मोचन और वाद संपत्ति का कब्जा प्रत्यर्थी ने अभिवचनों के संशोधन के लिए एक आवेदन किया-सिविल न्यायाधीश ने उपरोक्त आवेदन को खारिज कर दिया प्रत्यर्थी ने जिला न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर करके उपरोक्त आदेश को चुनौती दी, जिसने बदले में प्रत्यर्थी को वादी अपीलार्थी को संशोधित करने की अनुमति दी उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया-अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि वाद या के प्रावधानों द्वारा वर्जित है। IX, R. 9, क्योंकि पहले का मुकदमा चूक के लिए खारिज कर दिया गया था और दोनों मुकदमों में कार्रवाई का कारण समान है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः यदि वादी द्वारा संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत की गई दलीलें भी वह याचिका है, जिसे प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में स्थापित किया है और वादी की ऐसी याचिका एक वैकल्पिक याचिका है, भले ही वह

मूल याचिका के साथ असंगत, क्योंकि प्रतिवादी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसलिए न्यायालय को संशोधन की अनुमति देने से नहीं रोका गया है-तत्काल मामले में, वादी के मामले में वैकल्पिक रूप से यह कहा गया है कि प्रतिवादी के पास वाद की संपत्ति है। एक बंधक के रूप में और वे बंधक राशि का आवश्यक भुगतान करके बंधक को भुनाने और वापस लेने के लिए तैयार हैं।

कब्जा-यह तय किया जाता है कि यदि दोनों दावों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य अलग-अलग हैं तो कार्रवाई के कारण भी अलग-अलग हैं-तत्काल मुकदमा कार्रवाई के एक ही कारण पर दायर नहीं किया गया था इसलिए, सी. पी. सी. के <आई. डी. 1, आर. 9 के प्रावधानों के आधार पर उठाए गए विवाद का कोई गुण नहीं है-संपत्ति संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम-एस. 60 और 83.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. वादी और प्रतिवादी संशोधन के हकदार हैं।

बयान। हालाँकि, यह एक अपवाद के अधीन है कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा, एक विरोधी पक्ष अन्याय के अधीन नहीं होना चाहिए और दूसरे पक्ष के पक्ष में किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति गलत नहीं है। अभिवचनों के सभी संशोधनों को उदारता से अनुमति दी जानी चाहिए जो मुकदमे में वास्तविक विवादों के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं बशर्ते कि प्रस्तावित संशोधन कार्रवाई के किसी नए कारण को परिवर्तित या प्रतिस्थापित नहीं करता है जिसके आधार पर मूल निर्णय लिया गया था या बचाव किया गया था। तथ्यों की स्वीकृत स्थिति या तथ्यों के पारस्परिक विनाशकारी आरोपों को नकारते हुए असंगत और विरोधाभासी आरोपों को अभिवचनों में संशोधन के माध्यम से शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। [पारस 37,38] [918-ई-एफ]

2. यदि याचिकाओं को वादी द्वारा पेश करने की मांग की जाती है

एक संशोधन वह याचिका भी है, जिसे प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में स्थापित किया है और वादी की ऐसी याचिका एक

वैकल्पिक याचिका, भले ही यह मूल याचिका के साथ असंगत है, क्योंकि प्रतिवादी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसलिए न्यायालय संशोधन की अनुमति देने से वंचित नहीं है। [पैरा 47] [922-ए-बी]

3. आदेश IX नियम 9 उसी के संबंध में नए मुकदमे पर रोक लगाता है।

सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 8 में बताए अनुसार पहले के मुकदमे को खारिज किए जाने के मामले में कार्रवाई का कारण। "कार्रवाई का एक ही कारण" शब्द का उतना ही महत्व है जितना कि सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 8 के तहत बार केवल कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में बाद के मुकदमे पर लागू होता है। यदि बाद के मुकदमे में कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था, जिसका पहले के मुकदमे में कार्रवाई के कारण से कोई लेना-देना नहीं है, तो वैधानिक बार का ऐसे बाद के मुकदमों पर कोई आवेदन नहीं है। यह केवल गणेश प्रसाद बनाम की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से था।

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस।

कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर कई मुकदमे दायर करना, पहले के मुकदमे को खारिज करने के बाद भी क्रमिक रूप से

एक प्रावधान पेश किया गया है। विधायिका का इरादा दलों के बीच बाद के मुकदमों को रोकने का नहीं था और यह योग्यता वाले शब्दों, "कार्रवाई का एक ही कारण" से स्पष्ट था। इसलिए, सब कुछ कार्रवाई के कारण पर निर्भर करता है और यदि कार्रवाई का बाद का कारण पूरी तरह से अलग तथ्यों के समूह से उत्पन्न होता है, तो इस तरह के मुकदमे को सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के प्रावधान का आश्रय लेकर खारिज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 52] [923-सी-ई]

4. सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 में प्रावधान है कि जब नियम 8 के तहत मुकदमा पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है (इसके लिए खारिज कर दिया जाता है)।

चूक) वादी को कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में एक नया मुकदमा लाने से रोका जाएगा। सिविल जज (जे. डी.) के न्यायालय में दायर किया गया 2009 का मुकदमा संख्या 154, वर्तमान मुकदमा है।

पूर्वी, जिला बलिया कार्रवाई के समान कारण पर दायर नहीं किया गया है। वर्तमान वाद में, वादी का मामला जैसा कि विकल्प में रखा गया है, यह है कि प्रतिवादी एक बंधक के रूप में वाद संपत्ति के कब्जे में है और वे उसे भुनाने के लिए तैयार हैं।

गिरवी रखी गई राशि का आवश्यक भुगतान करके और कब्जा वापस लेकर गिरवी रखें। जिस राहत के लिए अनुरोध किया गया है वह समय की पाबंदी है या नहीं, यह निचली अदालत को उन सबूतों के आधार पर तय करना है जो पक्षकारों के नेतृत्व में हो सकते हैं। जैसा कि मोहम्मद खलील खान में प्रिवी काउंसिल द्वारा देखा गया है कि यदि दोनों दावों का समर्थन करने के लिए सबूत अलग हैं तो कार्रवाई के कारण भी अलग हैं। इसलिए, सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के प्रावधानों के आधार पर उठाए गए विवाद का कोई गुण नहीं है। [पैरा 60] [927-बी-डी]

5. इस मामले को एक अलग कोण से भी देखा जा सकता है। इस क्षण के लिए यह मानते हुए कि पहले मुकदमे में भी वादी

राहत के लिए प्रार्थना की थी, प्रार्थना के अनुसार बंधक के मोचन की मांग की थी

वर्तमान सूट के लिए। ऐसी परिस्थितियों में भी, चाहे दोनों मुकदमों में राहत समान हो और कार्रवाई का कारण भी समान हो, सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के प्रावधान

वर्तमान सूट की रखरखाव के लिए एक बार के रूप में काम करेगा। भुनाने का अधिकार, एक अधिनियम द्वारा गिरवी रखने वाले को प्रदान किया गया एक अधिकार है, जिससे उसे केवल उस उद्देश्य के लिए इंगित साधनों और तरीके से वंचित किया जा सकता है और इसका सख्ती से पालन किया जा सकता है।

मोचन का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, सी. पी. सी. का प्रावधान आदेश IX नियम 9 गिरवी रखने वाले पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

दूसरा मुकदमा दायर करना क्योंकि विभाजन मुकदमे की तरह, मोचन मुकदमे में कानूनी कार्रवाई बार-बार की जाती है। प्रत्येक क्रमिक कार्रवाई में ए का कारण, जब तक कि मोचन का अधिकार न हो बुझाया या छुटकारे के लिए एक मुकदमा समय वर्जित है, एक अलग मामला है। [पारस 61,62] [927-ई-एफ; 928-एफ]

फर्म श्रीनिवास राम कुमार बनाम। महाबीर प्रसाद और अन्य ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 177 [1951] एस. सी. आर. 277;

जी. नागम्मा और एक अन्य बनाम। सिरोमानम्मा और एक अन्य (1996) 2 एस. सी. सी. 25 [1995] 5 पूरक। एससीआर 701; प्रफुल्ल मनोहर रेले बनाम। कृष्णबाई नारायण घोसालकर और अन्य (2014) 11 एससीसी 316: [2014] 1 एस. सी. आर. 44; मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ और एक अन्य (2011) 12 एस. सी. सी. 268: [2011] 12 एस. सी. आर. 140; भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और 2022 की एक अन्य दीवानी अपील संख्या 5909 (भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया)-पर भरोसा किया गया।

रेवजीतु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम नारायणस्वामी एंड संस एंड अदर (2009) 10 एस. सी. सी. 84: [2009] 15 एस. सी. आर. 103; उत्तर पूर्वी रेलवे प्रशासन, गोरखपुर

वी. भगवान दास (2008) 8 एससीसी 511 [2008] 6 एससीआर 416 ; पी. ए. जयलक्ष्मी बनाम एच. शारदा और अन्य (2009) 14 एससीसी 525: [2009] 11 एस. सी. आर. 131; बी. के. नारायण

पिल्लई बनाम। परमेश्वरन पिल्लई और एक अन्य (2000) 1 एस. सी. सी. 712: [1999] 5 पूरक। एस. सी. आर. 271; ए. के. गुप्ता एंड संस लिमिटेड बनाम। दामोदर घाटी निगम ए. आई. आर 1967 एस. सी. 96: [1966] एससीआर 796; उषा बालासाहेब स्वामी और अन्य बनाम। किरण अप्पासो स्वामी और अन्य (2007) 5 एस. सी. सी. 602: [2007] 5 एस. सी. आर. 307; एम/एस. गणेश ट्रेडिंग कं. वी. मोजी राम (1978) 2 एस. सी. सी. 91: [1978] 2 एससीआर 614; गया नगरपालिका बनाम। राम प्रसाद भट्ट और अन्न। सिविल में

1965 की अपील सं. 29 (भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया)-निर्दिष्ट।

दीप नारायण सिंह बनाम। मिनी डायटर्ट और एनर। आईएलआर

(1904) 31 कैल 274; सरदार बलबीर सिंह बनाम। आत्मा राम श्रीवास्तव एयर 1977 ऑल 211 (एफ. बी.); सूरज रतन थिरानी और अन्य बनाम। आज़माबाद टी कंपनी लिमिटेड और अन्य गणेश प्रसाद बनाम।

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस

ए. आई. आर 1965 एस. सी. 295: [1964] एस. सी. आर. 192; श्रीधर सदबा पोवार वी। गनु महादु कावडे और अन्य आई. एल. आर. (1928)

52 बम 111; रामचंद्र कोलाजी पाटिल बनाम। हनमंथा

एक अन्य वी। रामचंद्र पांडु जाधव और अन्य आकाशवाणी 1948 बम-संदर्भित।

भैय्या रघुनाथ सिंह और अन्य बनाम। मुसम्मात हंसराज कुंवर और अन्य (1933-34) 61 IA 362,226

और अन्य वी। महबूब अली मियां और अन्य आकाशवाणी 1949 पी. सी. 78-संदर्भित।

जय कुक बनाम। हेनरी एस. गिल (1873) एलआर 8 सीपी 107 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 15 एससीआर 103

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2008] 6 एससीआर 416

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[2009] 11 एससीआर 131

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

[1999] 5 पूरक। एससीआर 271

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[1966] एससीआर 796

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

[1951] एससीआर 277

उस पर भरोसा करें

पैरा

42

[1995] 5 पूरक। एससीआर 701

उस पर भरोसा करें

पैरा

43

[2014] 1 एससीआर 44

उस पर भरोसा करें

पैरा

44

[2007] 5 एस. सी. आर. 305

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

[1978] 2 एससीआर 614

संदर्भित किया गया है

पैरा

45

उस पर भरोसा करें

[2011] 12 एससीआर 140

पैरा

48

[1964] एससीआर 192

संदर्भित किया गया है

पैरा

59

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2023 तक।

उच्च न्यायालय के 04.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के एम. यू. ए. सं. 1346 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनिरुद्ध जोशी, राजीव महेश्वरानंद रॉय, पी. श्रीनिवासन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। तेजस्वी कुमार, सैयद सरफराज करीम, सुश्री रेणु भंडारी, अंबर कमरुद्दीन, अधिवक्ता। शरणार्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

3. यह अपील दीवानी न्यायाधीश के न्यायालय में वादी द्वारा 2009 के मुकदमा संख्या 154 के मूल प्रतिवादी के कहने पर की गई है। (जे. डी.), पूर्वी, जिला बलिया को बंधक के मोचन पर वाद संपत्ति के कब्जे के लिए और इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के सिविल विविध डब्ल्यू. पी. 1346 में दिनांक आई. डी. 2 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, जिससे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक आई. डी. 1 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है, जिसमें वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों के तहत वाद में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है।

फैक्ट मैट्रिक्स

4. दीवानी मुकदमे की विषय वस्तु चौक, सिटी बलिया, परगना और जिला बलिया में स्थित ब्लॉक संख्या 2-5, ए. संख्या 25,26,27,28,29 में एक दुकान के रूप में एक संपत्ति है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि

मुक़दमे की संपत्ति के वैध मालिक। यह प्रतिवादी का मामला है कि वादी के पिता ने वाद संपत्ति के एक तिहाई हिस्से के संबंध में प्रतिवादी के पिता के पक्ष में एक बंधक विलेख निष्पादित किया था।

5. 1957 से 2005 तक, बंधककर्ता सूट संपत्ति के कब्जे में बना रहा क्योंकि न तो बंधक राशि का भुगतान किया गया था और न ही बंधक को भुनाया गया था और 30 साल की अवधि समाप्त होने पर, बंधक संपत्ति में बंधककर्ता का अधिकार समाप्त हो गया था। सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 61 ए की शर्तें (गणेश प्रसाद बनाम.

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

संक्षेप में, 'अधिनियम, 1963')। वर्ष 2005 में किसी समय, प्रतिवादी यानी बंधक के पिता, श्री गुलाब चंद की मृत्यु हो गई।

6. <आई. डी. 1 पर, वादी ने अपीलार्थी प्रतिवादी और चार अन्य लोगों के खिलाफ 2007 का लघु कारण मुकदमा संख्या 3 स्थापित किया।

लघु कारण न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय इस घोषणा के लिए कि वादी वाद संपत्ति के वैध मालिक हैं अर्थात दुकान और उसे अपीलार्थी प्रतिवादी के पिता को पट्टे पर दे दिया गया था इसमें और प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के बाद, उन्होंने वादी को किराया देना बंद कर दिया और अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या को शामिल किया। 2 5 को दुकान में उप-किरायेदारों के रूप में जवाब दें। इस प्रकार, वादी ने दुकान के कब्जे के आदेश के लिए प्रार्थना की।

7. वादी द्वारा स्थापित 2007 के लघु कारण वाद संख्या 3 में निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की गई थीः

" ए. प्रतिवादियों के खिलाफ वादी के पक्ष में सीमा के नीचे विस्तार से दी गई उक्त दुकान से बेदखली के लिए डिक्री पारित की जा सकती है और यदि वे अदालत द्वारा आदेशित अवधि के भीतर खाली नहीं करते हैं तो इसे अदालत के माध्यम से खाली किया जा सकता है और

इसका अधिकार हमें वादी को दिया जा सकता है।

बी. प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में 4500/- रुपये के भुगतान के लिए आदेश जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है

पास हो गया।

ग. वह 500/- रुपये की क्षति आदेश की विचाराधीनता के दौरान

प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में मुकदमा पारित किया जा सकता है।

घ. वाद की लागत प्रतिवादियों द्वारा हमें वादी को भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। इन राहतों के अलावा यदि वादी अदालत की राय में किसी अन्य राहत के हकदार हैं तो इसे भी प्रतिवादियों के खिलाफ वादी के पक्ष में कम किया जा सकता है।

8. 2007 के उपरोक्त वाद सं. 3 में, अपीलार्थी प्रतिवादी ने वादी द्वारा रखे गए पूरे मामले को नकारते हुए अपना लिखित बयान दायर किया और आगे कहा कि वादी के पिता ने वाद संपत्ति के संबंध में 12.02.1957 दिनांकित एक बंधक विलेख निष्पादित किया था और अर्थात, कैसे प्रतिवादी के पिता को वाद संपत्ति के कब्जे में रखा गया था। न तो वादी के पिता और न ही उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने किसी भी समय बंधक को छुड़ा लिया।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. 2007 के लघु कारण वाद संख्या 3 की शिकायत में की गई कार्रवाई का कारण इस प्रकार है:

" कि कार्रवाई का कारण उस तारीख 13-11-2006 पर उत्पन्न हुआ जब पंजीकृत नोटिस भेजा गया था और उस तारीख को 15-11-2006 जब नोटिस दिया गया था और उस तारीख को 31-12-2006 जब नोटिस की सेवा के बावजूद दुकान को खाली नहीं किया गया था और न ही किराए के बकाया किराए का भुगतान किया गया था

और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। "

10. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि ऊपर निर्दिष्ट 2007 का लघु कारण वाद संख्या 3 खारिज कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांकित 20.10.2010 आदेश। 2007 के लघु कारण मामला संख्या 3 को खारिज करने वाला आदेश इस प्रकार है:

" 20-10-10

बाहर बुलाया गया। रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। वादी अनुपस्थित है। अवसर के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। वादी की अनुपस्थिति में

मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। '

11. 2007 के लघु कारण मामला संख्या 3 को उपरोक्त के रूप में खारिज किए जाने के बाद, वादी ने एक और मुकदमा (यानी वर्तमान मुकदमा) को प्राथमिकता दी।

सिविल न्यायाधीश का न्यायालय (जे. डी.) संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में, 'टी. पी. अधिनियम') की धारा 83 के तहत पूर्वी जिला बलिया, जिसे 2009 के मुकदमा संख्या 154 के रूप में गिना गया।

12. 2009 के उक्त वाद सं. 154 में, वादी द्वारा की गई कार्रवाई का कारण इस प्रकार है:

" कि कार्रवाई का कारण तारीख 03-09-2008 को बंधक विलेख की जानकारी मिलने पर और तारीख 31/3/09 पर उत्पन्न हुआ

बंधक विलेख की राशि लेने से इनकार करना और इसके भीतर आता है

शहर बलिया, परगना और जिला बलिया "।

13. 2009 के मुक़दमा सं. 154 में पढ़ने के लिए प्रार्थना की गई नक्काशी

निम्नानुसार:

" A. न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को नोटिस दिया जा सकता है -

बंधक विलेख राशि 700/- रुपये अन्य खर्च 5100/- रुपये निर्धारित अवधि के भीतर कुल 58,00/- रुपये लें और नीचे उल्लिखित कमरे का कब्जा दें।

हम वादी के लिए।

B. मुकदमे की लागत हमें वादी द्वारा दी जा सकती है

प्रतिवादी के खिलाफ।

गणेश प्रसाद बनाम. राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

ग. इसके अलावा कोई वैकल्पिक राहत या अन्य राहत जो वादी न्यायालय की राय में हकदार हैं

वादियों के पक्ष में और उनके विरुद्ध भी फैसला सुनाया जाए

प्रतिवादी "।

14. 2009 के मुकदमा संख्या 154 में, प्रतिवादी ने अपना लिखित आवेदन दायर किया।

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार नहीं कहा गया है:

" 4. शिकायत का वह पैरा-4 झूठा और आधारहीन है। के पिता

वादी ने स्वयं पंजीकृत बंधक विलेख निष्पादित किया था अभियुक्तों के पिता के पक्ष में दिनांकित 12-02-57। ऐसे में

परिस्थितियों के बारे में उन्हें जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी पंजीकृत बंधक विलेख। प्रतिवादी के पिता या

दादा कभी भी पिता या दादा के किरायेदार नहीं थे।

याचिकाकर्ताओं से। स्वयं वादियों को पूरा ज्ञान था

इस तथ्य के बारे में कि वादी के पिता ने फांसी दी थी

पिता के पक्ष में दिनांकित बंधक विलेख 12-02-57

प्रतिवादी। प्रतिवादी के पिता ने कभी किराया नहीं दिया था।

या वादी का प्रतिवादी।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

6. अभियोग का वह पैरा-6 अस्पष्ट और अनिश्चित है। याचिकाकर्ता

जानबूझकर मामले का विवरण नहीं दिया है। यह सच है।

लघु कारण मुकदमा संख्या 3/वर्ष 2007 में लिखित बयान दायर किया गया न्यायाधीश के न्यायालय में वादियों द्वारा छोटे कारण दीवानी

न्यायाधीश (एस. डी.) बलिया। यह मामला तारीख को खारिज कर दिया गया था

20.10.2010 .

7. अभियोग का वह पैरा-7 झूठा और आधारहीन है, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है।

वादी के पिता का मूल बंधक विलेख आज तक है प्रतिवादी की अभिरक्षा में। पिता या मैं प्रतिवादी कभी भी वादी का किरायेदार नहीं रहा है या उनके पिता।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

अतिरिक्त कथन

एक्सएक्सएक्स

XXX

2. वह तथ्यात्मक रूप से जैसा कि वादी के पिता ने ऊपर उल्लेख किया था तारीख को निष्पादित पंजीकृत स्वामित्व बंधक विलेख

12.05.57 मोचन के लिए समय सीमा जो 30 वर्ष तक थी

12-02-87 . वादी के पिता एक आदतन वादी थे। वह.

समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से बंधक का भुगतान नहीं किया।

वादी के पिता की मृत्यु भी 6 साल बाद हुई

नीचे उल्लिखित कमरे के मालिक और कब्जे में आ गए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर। सूट सीमा द्वारा वर्जित है।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

4. कि वादी का मुकदमा कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है।

5. कि मुकदमा जारी किए जाने और स्वीकार किए जाने से वर्जित है।

6. कि वादी ने लघु कारण मुकदमा संख्या 3/वर्ष 2007 दायर किया

राजेश्वर आदि बनाम डॉ. गणेश प्रसाद आदि जो था

तारीख 20-10-2010 पर खारिज कर दिया गया। इस प्रकार यह सूट अंततः था

वादी के खिलाफ और मेरे पक्ष में फैसला किया

प्रतिवादी। वर्तमान सूट इस आधार पर भी रेस द्वारा वर्जित है।

न्याय "।

15. अभिलेख पर दी गई सामग्री से आगे यह पता चलता है कि सूट में

54 2009 में, वादी ने सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के तहत संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर किया। संशोधन के लिए प्रार्थना की गई,

इस प्रकारः

“ 1. कि नाम और पते के बाद मामले के शीर्षक में

प्रतिवादी संख्या 1 जहाँ "प्रतिवादी" शब्द दिया गया है।

लिखित, उसके बाद "प्रथम पक्ष" शब्द जोड़े जा सकते हैं और

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम और पते के नीचे और

निम्नलिखित व्यक्तियों के पते इस प्रकार जोड़े जा सकते हैं -

प्रतिवादी सं। 2 5 तक।

2. राजीव कुमार की आयु लगभग 35 वर्ष है।

देर से बेटे

3. मुन्ना की आयु लगभग 33 वर्ष है।

ओम प्रकाश

4. गोलू की आयु लगभग 23 वर्ष 5. श्याम देवी की आयु लगभग 57 वर्ष थी स्वर्गीय ओम प्रकाश की पत्नी

आर/ओ जोपलिंगंज, सिटी बलिया, परगना और जिला बलिया।

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष गणेश प्रसाद बनाम।

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

2. कि पैरा-1 के ऊपर की शिकायत पंक्ति में काटा जा सकता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द लिखे जा सकते हैं।

" उपरोक्त वादी निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं "

3. कि शिकायत में पैरा 1 की अंतिम पंक्ति को काटा जा सकता है।

4. कि पैरा-2 की अंतिम पंक्ति में वाद में "प्रयास" शब्द लिखा गया है जिसे काटा जा सकता है और इसके स्थान पर "संपूर्ण" शब्द लिखा जा सकता है।

5. कि पैरा-4 की दूसरी पंक्ति में शिकायत में "निम्नलिखित" शब्द के बाद लिखे गए शब्द संक्षिप्त हो सकते हैं और इसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़े जा सकते हैं।

" वर्णित कमरे के किसी भी हिस्से के संबंध में विवादित किरायेदारी दिनांक 12-02-57 पर पंजीकृत स्वामित्व बंधक यह लिखा और निष्पादित किया गया था, बल्कि सच तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 1 के दादा लक्ष्मण प्रसाद वर्ष 1953 से 23/- मासिक किराए पर विवादित कमरे में किरायेदार के रूप में रहे, बाद में प्रतिवादी नंबर 1। मैं गुलाब चंद का पिता हूँ।

जीवन भर विवादित कमरे में किरायेदार के रूप में रहे

वर्ष 2005 तक और प्रतिवादी नंबर 1 के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नंबर 1 को किरायेदार के रूप में जारी रखा जाता है, और वह रहता था और समय-समय पर किराया बढ़ता गया और इसका भुगतान किया जाता था, और प्रतिवादी नंबर 1 के पिता गुलाब चंद के जीवनकाल के दौरान विवादित कमरे का किराया 300 रुपये हो गया और समय-समय पर स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद और गुलाब चंद और वादी और वादी के पिता द्वारा रसीद के खिलाफ किराए का भुगतान किया जाता था, और

इस तरह से 31-03-06 तक, किराया का भुगतान प्रतिवादी नं. मैं उनके पिता हूं जबकि 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी।

6. कि संशोधित पैरा-4 के बाद वाद में पैरा 4 (ए) इस प्रकार हैः

निम्नलिखित रूप में जोड़ा जा सकता हैः " 4 (क) कि किरायेदारों में से घर में वादी के पिता के हिस्से में कुछ किरायेदारों ने दो मामले केस नंबर 492/87 राजाराम आदि बनाम हरिहर आदि और केस नंबर 493/87 दायर किए थे।

राम नारायण आदि बनाम हरिहर आदि, मुन्सिफ पूर्वी बलिया के न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा अनिवार्य और निषेधात्मक के लिए, जिसका उक्त मामला सं. 493/87 राम में निपटान किया गया था। नारायण जी बनाम हरिहर आदि डेफ के दादा। नं. 1 स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद मामले में [2023] 6 एस. सी. आर. के रूप में पक्षकार थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वादी संख्या 3 और उसने मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि वर्ष 1953 से 25 रुपये मासिक किराए पर विवादित कमरा और उक्त मामले को निपटारे के माध्यम से निपटाया गया था।

दस्तावेज़ संख्या 58 कल, निपटान दस्तावेज़ संख्या 58 कल को डिक्री के हिस्से के रूप में माना गया था। इस तरह से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 के दादा ने अपने पूरे जीवन में कभी भी बंधक विलेख के आधार पर खुद को विवादित किरायेदार कमरे में बंधक के रूप में नहीं दिखाया।

7. कि पैरा-5 के बाद के वाद में एक पैरा को पैरा-5 (ए) के रूप में नीचे लिखा जा सकता हैः

" पैरा 5 (ए)-डेफ के खिलाफ। 01.04.06 किराए से नंबर 1 बकाया और डेफ में बना रहा। नंबर 1 शामिल किए गए प्रतिवादी

विवादित किराएदार कमरे में दूसरे पक्ष ने खुद तहसील स्कूल बलिया के गेट के सामने "शिवम अस्पताल" नाम से क्लिनिक खोला और डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया।

हर्जाना और बाद में नोटिस की सेवा के बाद न्यायाधीश लघु कारण दीवानी न्यायाधीश (एस. डी.) के न्यायालय में लघु कारण मुकदमा सं. 3/2007 दायर किया गया था। बल्लिया राजेश्वर आदि बनाम डॉ. गणेश प्रसाद तारीख 15-03-07 पर जो बिना रद्द किए गए थे उपरोक्त मामला दर्ज करने के बाद जाँच। बर्खास्तगी द्वारा

सूट डेफ। नं. 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है और न ही वह उपरोक्त मुकदमे को खारिज करवा सकता है, उपरोक्त मुकदमे को उक्त मुकदमे को खारिज करने के आदेश द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों द्वारा वर्जित नहीं किया गया है।

बिना जाँच के मुकदमा। 8. कि पैरा-7 की दूसरी पंक्ति में शब्दों के बाद की शिकायत में

" यह ज्ञात हुआ "और इन शब्दों से पहले" हम

वादी ", शब्द" डेफ के पिता "। नहीं। आई "जोड़ा जा सकता है और उसी पंक्ति में" पिता "शब्दों के बाद और" बंधक "शब्दों से पहले" स्वर्गीय हरिहर प्रसाद "शब्द जोड़े जा सकते हैं।

9. कि पैरा-8 की चौथी पंक्ति में शिकायत में जहां "निकट" शब्द लिखे गए हैं, उसके बाद "संधी" शब्द जोड़े जा सकते हैं।

10. कि पैरा-9 की पाँचवीं पंक्ति में शिकायत में "मालिक का हो सकता है" शब्दों के बाद पूरी पंक्ति को काटा जा सकता है, और निम्नलिखित शब्दों को गणेश प्रसाद v जोड़ा जा सकता है।

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" और न ही हो सकता है। चूंकि वादी ने उपरोक्त मामला जो विवादित के संबंध में मकान मालिक और मालिक के विवाद से संबंधित है

उक्त विवादित कमरे का कमरा और स्वामित्व अधिकार उक्त स्वामित्व बंधक के आधार पर हस्तांतरित नहीं किया गया था।

डेफ के पक्ष में। नंबर 1 के पिता या डेफ। नं. 1 बल्कि दोनों के बीच किरायेदारी अधिकारों के विवादित कमरे के संबंध में वादी और डेफ। नं. 1। स्वामित्व का अधिकार और

जमींदार का अधिकार अस्तित्व में है जिसे प्रतिवादी ने ऊपर उल्लिखित मामले में अपने द्वारा दायर लिखित बयान और ऊपर उल्लिखित मामले स्मॉल कॉज केस नंबर 3/07 में दायर लिखित बयान में अस्वीकार किया है। ऐसी परिस्थितियों में डेफ के आधार पर नीचे वर्णित विवादित कमरे से। नं. 1 का स्वामित्व अधिकारों और किरायेदारी पर अधिकार का दावा

डेफ का अधिकार। नंबर 1 स्वचालित रूप से बंद हो गया है, और नोटिस के माध्यम से भी किरायेदारी समाप्त कर दी गई है और डेफ। नंबर 1 ने प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को उप-किरायेदार के रूप में शामिल करके दुरुपयोग किया है उसका अधिकार, जिसके आधार पर प्रतिवादी भी बेदखल किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके लिए इस मुकदमे में वांछित राहत का दावा किया जा रहा है।

11. कि पैरा-9 के बाद वाद में और पैरा 9 (ए), 9 (बी), 9 (सी), 9 (डी) को निम्नानुसार जोड़ा जा सकता हैः

पैरा 9 (ए) कि डेफ द्वारा दिखाए गए दिनांक 12-02-57 के स्वामित्व वाले बंधक के दस्तावेज़ के बारे में जानने के बाद। नहीं।

1 इसकी प्रति तिथि 10.09.2008 पर प्राप्त की गई थी और बंधक विलेख के दस्तावेज़ के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने पर किसी भी कानूनी जटिलता से बचने के लिए बंधक विलेख और अन्य खर्चों में उल्लिखित राशि 700/- कुल 5800/- रुपये और मूल दस्तावेज़ लेने के लिए बचाव पक्ष का दौरा किया। नंबर 1 कई बार जब तारीख 31-03-09 पर उसने अंततः उक्त राशि या कोई अन्य राशि लेने या दिनांक 12-02-57 के स्वामित्व वाले बंधक विलेख को वापस करने से इनकार कर दिया, इसलिए केवल उपरोक्त मामले में

बंधक के निर्वहन के लिए दावा किया जा रहा है और उपरोक्त मामले में संपत्ति हस्तांतरण की धारा 83 के तहत केवल 5800/रुपये की राशि जमा करने के लिए अलग से आवेदन किया जा रहा है।

अधिनियम दिया जा रहा है और डेफ को नोटिस भेजने के लिए अदालत में जमा की गई उक्त राशि के संबंध में। सं. 1 और न्यायालय में मूल दस्तावेज जमा करने के बाद उक्त जमा राशि की प्राप्ति को अधिकृत करने के लिए 5800/- रुपये की प्रार्थना की गई है जो भी विचाराधीन है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैरा-9 (ख) कि वादपत्र के अंत में -

वादी के पिता ने कमरे का केवल एक तिहाई हिस्सा गिरवी रखा है। डेफ के पक्ष में हरिहर प्रसाद। नहीं। मैं गुलाब चंद का पिता हूँ।

तारीख 12-02-57 पर पूरे कमरे का किराया 700/- रुपये के बदले

कटौती के बाद मूल ऋण के ब्याज का उल्लेख किया गया है।

स्वामित्व बंधक विलेख में। इस तरह से इसके अलावा

700 / - रुपये की मूल राशि कोई अन्य राशि नहीं बची है

डेफ के पिता को देय। नंबर 1 लेकिन पर्याप्त सावधानी के रूप में

700/- + 5100/- रुपये जमा करने के लिए। 5800 / - रु. इसके तहत राशि

अदालत के आवेदन में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 83

दिया जा रहा है।

विवादित किरायेदार के एक तिहाई हिस्से को गिरवी रखा गया शिकायत में नीचे वर्णित कमरा जिसकी मृत्यु के बाद

वादी बंधककर्ता के कानूनी प्रतिनिधि होते हैं जिनके

डेफ के बंधक पिता। नंबर 1 जिनकी मृत्यु के बाद डेफ। नंबर 1 गिरवीदार का कानूनी प्रतिनिधि है। इसकी खास बातें

उक्त दस्तावेज़ इस प्रकार हैः

बंधक विलेख का सेवन करें

तिथि 12-02-57 जिसका पंजीकरण

रजिस्टर नंबर 1 खंड में किया गया था सं. 1364 पृष्ठ 309 से 311 तक सं.

364 13-02-57 पर

स्वर्गीय सीताराम के पुत्र हरिहर प्रसाद

-गिरवीदार के नाम

प्रसाद, बंधक गुलाब चंद

मॉर्टगैगोर

लक्ष्मण प्रसाद के पुत्र, मोर्टगागोर

दस्तावेज़घा का प्रकार।

स्वामित्व बंधक

रियायत राशि

700 / - (सात सौ रुपये)

रुचि से खाते हैं और

न ही किराए का दावा होगा।

स्वामित्व बंधक विलेख का विवरण

और जेठसुदी पर किसी भी वर्ष में

पूर्णवन मूल राशि बिना

ब्याज का भुगतान किया जाएगा और

तब इस निष्पादक को छुट्टी दे दी गई

इसकी कोई चिंता नहीं होगी।

दस्तावेज़ और कमरा। अगर ऐसा है तो

के कब्जे में कोई बाधा

ऋणग्राही तब की तारीख से

1/की दर से विस्थापन

रुपये प्रति सौ मासिक तक

गिरवी रखने वाले को भुगतान की तारीख और

उसके उत्तराधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे

भुगतान करें

-के तहत संपत्ति

1/3 (एक तिहाई) एक कमरे में साझा करें

ए. नंबर 25,26,27 में ब्लॉक नंबर 2-5,

गैज

28 , 29 बलिया शहर में,

चौक

परगना और जिला बलिया

सीमा

ईस्ट-रोड गवर्नमेंट वेस्ट

वादी का कमरा उत्तर-का कमरा

वादी दक्षिण-कटरा लेन गणेश प्रसाद बनाम।

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

9 ((घ) वह डेफ। नं. 1 अपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त दस्तावेज बंधक विलेख के आधार पर विवादग्रस्त किरायेदार कमरे का एक तिहाई हिस्सा गिरवी रखने वाले के कब्जे में है और गिरवी रखे गए कमरे के एक तिहाई हिस्से के संबंध में बचाव पक्ष के कब्जे में है। नहीं। मैं सीमा अवधि के दौरान डेफ के पिता द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। नंबर 1 या डेफ। नं. 1 वादी के पिता को 700/- की राशि के भुगतान के लिए गिरवीदार के रूप में या

वादी को न तो ऐसा कोई नोटिस दिया गया था और न ही डेफ द्वारा उक्त राशि की वसूली के लिए कोई दावा किया गया था। नंबर 1 का

पिता या डेफ। नं. 1 और न ही स्वामित्व और स्वामित्व के संबंध में किरायेदार कमरे के एक तिहाई हिस्से के संबंध में स्वामित्व बंधक के पूर्व-प्रकटीकरण या बिक्री के लिए कोई मुकदमा दायर किया गया था।

12. कि पैरा-10 की अंतिम पंक्ति के बाद की शिकायत में "अस्वीकार" और "कोई विकल्प नहीं बचा" शब्दों से पहले, "विवादित किरायेदार कमरे का 2/3 हिस्सा जो गिरवी नहीं रखा गया था और विवादित कमरे का केवल एक तिहाई हिस्सा स्वामित्व वाले बंधक में बंधक बना रहा और उस संबंध में बंधककर्ता और बंधककर्ता के बीच एक तिहाई हिस्से का संबंध जारी रहा और

डेफ. नंबर 1 ने वादी को अस्वीकार कर दिया; पूरे कमरे का स्वामित्व और विवादित किरायेदार कमरे के नीचे जमीन के स्वामित्व का दावा किया है जो तीन मंजिला है इसलिए डेफ के विवादित कमरे से बेदखल करने के लिए उपयुक्त है। नं. 1 और उनके उप-किरायेदार प्रतिवादी द्वितीय पक्ष जोड़ा जा सकता है।

13. कि शिकायत में पैरा-11 की दूसरी पंक्ति के बाद "बंधक विलेख" शब्दों के बाद और "फौज" शब्द के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़े जा सकते हैं।

" और बंधक विलेख दस्तावेज़ को वापस करने से इनकार करने और कमरे की राशि के एक तिहाई हिस्से की बंधक राशि लेने से 700/रु। या राशि 5800 और कमरे के एक तिहाई हिस्से को जारी करना और न्यायाधीश लघु कारण दीवानी न्यायाधीश (एस. डी.) के न्यायालय में लघु कारण मामला संख्या (आई. डी. 2) मामले में दिनांकित विवादित कमरे पर वादी के स्वामित्व अधिकार से इनकार करना। परमेश्वर प्रसाद आदि बनाम डॉ. गणेश प्रसाद आदि और उपरोक्त शिकायत के खिलाफ दायर लिखित बयान में इनकार करके।

14. कि शिकायत के पैरा 12 के शब्दों को काटा जा सकता है और

निम्नलिखित शब्द जोड़े जा सकते हैं

" बन्धक विलेख राशि के संबंध में मुकदमे का वह मूल्य

विवादित किरायेदार कमरे के एक तिहाई हिस्से का 700/- और अन्य खर्चों की राशि 5100/- कुल राशि 5800/- रु. है। निर्वहन और कब्जे के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में भुगतान किया गया

प्रार्थना के लिए गिरवी रखे गए कमरे का 1/3 हिस्सा (ए) तय किया जा रहा है और बेदखल करने की प्रार्थना के लिए दायर मुकदमे में मालिक वादी के स्वामित्व अधिकार और कब्जे से इनकार के आधार पर (ए-1)

रुपये की दर से मूल्यांकन राशि। 300 / - रु. मासिक बारह गुना राशि 3600/- रुपये तय की जा रही है। इस तरह कुल मूल्य राशि 5800 + राशि 3600 = रु। 9400 / - जिस पर न्यायालय शुल्क देय है।

15. कि शिकायत में पैरा 12 के बाद और प्रार्थना से पहले

"वादी" शब्दों से पहले "पैरा 13" लिखा जा सकता है।

16. कि वाद में वर्तमान प्रार्थना (क) को काटा जा सकता है और उसके स्थान पर प्रार्थना "(क)" और "(आ)" के रूप में निम्नलिखित प्रार्थना को जोड़ा जा सकता है।

" (क) कि न्यायालय की डिक्री द्वारा दिनांकित 12.02.57 पंजीकृत स्वामित्व बंधक विलेख के निर्वहन के लिए पारित किया जा सकता है। शिकायत में नीचे वर्णित प्रतिभूति राशि इस प्रभाव से पारित की जा सकती है कि स्वामित्व में उल्लिखित प्रतिभूति राशि 700/- है।

बंधक विलेख और अन्य व्यय राशि कुल 5100/-

डेफ. नं. 1 और न्यायालय द्वारा विफल होने की स्थिति में शिकायत के पैरा 9 (सी) के नीचे 12.02.57 दिनांकित दस्तावेज़ बंधक विलेख का निपटारा किया जा सकता है और विवादित किरायेदार कमरे के हिस्से का कब्जा वादी को दिया जा सकता है और 12.02.57 दिनांकित मूल स्वामित्व बंधक विलेख हो सकता है न्यायालय और डेफ में जमा किया गया। सं. 1 को उक्त जमा राशि लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है और एक डिक्री पारित की जा सकती है।

गणेश प्रसाद बनाम. राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(ए-1) कि वाद में नीचे वर्णित विवादित किरायेदार कमरे पर वादी के कब्जे के लिए एक डिक्री और

प्रतिवादियों को न्यायालय द्वारा बेदखल किया जा सकता है और प्रतिवादियों को न्यायालय के निरीक्षण के तहत उनके कब्जे से नीचे वर्णित किरायेदार कमरे को हटाने और वादी को उसका कब्जा देने का आदेश दिया जा सकता है और डिक्री का निष्पादन विफल होने की स्थिति में न्यायालय के एक अधिकारी/अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से वादी के पक्ष में और उसके खिलाफ एक डिक्री पारित की जा सकती है।

अभियुक्तों।

17. कि शिकायत में प्रार्थना के नीचे और सीमा के ऊपर "विवरण" शब्दों के नीचे पूरे शब्दों को काटा जा सकता है और इसके स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जा सकता है।

" सिटी बलिया चौक, परगना, बलिया में ब्लॉक नंबर 2-5 ए. नंबर 25,26,27,28,29 में एक कमरा, जिसका केवल एक तिहाई हिस्सा है।

दस्तावेज़ बंधक विलेख में गिरवी रखा गया 2/3 भाग गिरवी नहीं है और सीमा में दिया गया पूरा कमरा विवादित है।

16. वादी द्वारा अनुरोध किए गए उपरोक्त संशोधन का प्रतिवादी ने अपना जवाब दाखिल करके विरोध किया।

17. दीवानी न्यायाधीश ने दिनांक 20.05.2013 के आदेश के माध्यम से, वादी द्वारा अनुरोध किए गए संशोधन की अनुमति देने से इनकार कर दिया और तदनुसार, खारिज कर दिया

18. वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बलिया के न्यायालय में एक नागरिक पुनरीक्षण आवेदन दायर करके विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को चुनौती दी। जिला न्यायालय ने दिनांक 25.02.2015 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी और वादी को वाद में संशोधन करने की अनुमति दी, जैसा कि अनुरोध किया गया था। हालाँकि, चूंकि संशोधन आवेदन मुकदमे की स्थापना की तारीख से 3 साल बाद दायर किया गया था, पुनरीक्षण अदालत ने रुपये का खर्च अधिरोपित करना उचित समझा। 3,000 / - वादियों पर।

19. प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को अनुमति देने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होना

वादी ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर करके उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अभ्यास [2023] 6 एस. सी. आर. में जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र और तदनुसार, प्रतिवादी द्वारा दिनांकित 04.07.2018 आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया गया।20. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" श्री चंद्र भान गुप्ता, प्रतिवादी के विद्वान वकील

याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि वादी-उत्तरदाताओं ने यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि मुकदमे की संपत्ति गिरवी रखी गई थी और उसी का कब्जा उन्हें दिया जा सकता है। संशोधन आवेदन द्वारा वादी-प्रतिवादी मुकदमे की धारा 83 को हटाने का दावा करते हैं और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के साथ कब्जे का दावा भी करते हैं। संशोधन आवेदन को निचली अदालत ने 20.5.2013 पर खारिज कर दिया था।

यह आधार कि यह सूट की प्रकृति को बदल देता है। उपरोक्त आदेश से व्यथित, वादी-उत्तरदाताओं ने नागरिक संशोधन दायर किया और इसे 22.2.2015 पर अनुमति दी गई है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि संशोधन आवेदन द्वारा मुकदमे की पूरी प्रकृति को बदल दिया गया है और इस तरह, इस न्यायालय को बचाव के लिए आना चाहिए और याचिकाकर्ता को राहत देनी चाहिए।

उपरोक्त अंतरिम आदेश के कारण, मामला निचली अदालत के समक्ष विचाराधीन है। पुनरीक्षण आदेश और रिट में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं थी याचिका खारिज की जा सकती है।

न्यायालय विचाराधीन अभिलेख की जांच करने के लिए आगे बढ़ा है और पुनरीक्षण आदेश का भी अवलोकन किया है और पाया है कि मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, पुनरीक्षण न्यायालय का विचार था कि संशोधन मुकदमे की प्रकृति को नहीं बदलता है और अधिवक्ता की गलती पर कोई अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। अंत में, उन्होंने विचाराधीन नागरिक संशोधन की अनुमति दी और निचली अदालत के दिनांक 20.5.2013 के आदेश को दरकिनार कर दिया। उन्होंने संशोधन की भी अनुमति दी है।

आवेदन 35-के. ए. रुपये की लागत के साथ। 3000 / - .

गणेश प्रसाद बनाम. राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

न्यायालय को पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं मिलती है और इसे अनुमोदित किया जाता है। हालांकि, पर्याप्त न्याय के लिए, संशोधन आवेदन को रुपये की लागत के साथ अनुमति दी जानी चाहिए थी। 5000 / - और इसे ही पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है। मामले में, वादी-उत्तरदाता रुपये जमा करते हैं। 5000 / - आज से तीन सप्ताह के भीतर निचली अदालत मामले में आगे बढ़ेगी और बिना किसी अनावश्यक प्रावधान के कानून के अनुसार कार्यवाही को अंतिम रूप देगी।

पक्षों को स्थगन "।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ऐप्पलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ रक्षात्मक

22. अपीलार्थी प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री राजीव एम. रॉय ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने

आक्षेपित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की। विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश एक गैर-बोलने वाला आदेश है। विवादित आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है।

23. विद्वान वकील ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न की सराहना करने में विफल रहा कि संशोधन

सूट की पूरी प्रकृति को बदल दिया है। वह प्रस्तुत करेगा कि जब लघु कारण न्यायालय में पहला मुकदमा दायर किया गया था, तो प्रतिवादी को किराए के बकाया में किरायेदार दिखाया गया था और आगे यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति में उप-किरायेदारों को शामिल किया था। विद्वान वकील तर्क देंगे कि गैर-अभियोजन के लिए लघु कारण न्यायालय में दायर मुकदमे को खारिज करने के बाद, वादी ने सिविल कोर्ट में इसे टीपी अधिनियम की धारा 83 के तहत एक नया मुकदमा दायर किया। बाद में, वादी संशोधन के माध्यम से यह नहीं कह सकते थे कि मुकदमा टी. पी. अधिनियम की धारा 83 के तहत नहीं है, लेकिन प्रतिवादी की किरायेदारी को समाप्त किया जाए और उसे दुकान का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया जाए। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया जाता है कि वादी किरायेदारी के मामले को फिर से पेश नहीं कर सकते थे और कब्जे के आदेश के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते थे।

24. विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि वादी को वाद दायर करने की अनुमति देते हुए भी, नीचे दिए गए न्यायालयों को सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि 2009 का वाद संख्या 154 कार्रवाई के उसी कारण पर बनाए रखने योग्य नहीं है।

3] में 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरे शब्दों में, प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से, वादी पिछले मुकदमे में की गई कार्रवाई के कारण को फिर से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं जो गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। विद्वान वकील के अनुसार कानून में इसकी अनुमति नहीं है।

25. यह आगे तर्क दिया गया कि चूंकि मुकदमा विचाराधीन संपत्ति के कब्जे के लिए है, इसलिए इसे केवल मामले में ही स्थापित किया जा सकता था।

लघु कारण न्यायालय और सिविल न्यायालय के समक्ष नहीं।

26. विद्वान वकील ने रेवजीतु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम के संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णय पर मजबूत भरोसा रखा।

नारायणस्वामी एंड संस एंड अदर्स ने (2009) 10 एस. सी. सी. 84 में यह प्रस्तुत करने के लिए कि जब प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक रूप से या मौलिक रूप से मामले की प्रकृति और चरित्र को बदल देता है तो अदालत को वादी को वाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

27. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि इसमें योग्यता हो।

उसकी अपील की अनुमति दी जा सकती है और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जा सकता है।

प्लेन्टिफ्स 28.

दूसरी ओर, इस अपील का जोरदार विरोध किया गया है।

मूल वादियों की ओर से यह प्रस्तुत करते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें वादी को अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वाद में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी।

संविधान।

29. वादी की ओर से पेश विद्वान वकील के अनुसार, सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के प्रावधानों का कोई अनुप्रयोग नहीं है

वर्तमान मामले के तथ्य। वह प्रस्तुत करेगा कि सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 की प्रयोज्यता के लिए, दूसरे मुकदमे में कार्रवाई का कारण

वैसा ही होना चाहिए। हालांकि, दोनों मुकदमों में कार्रवाई का कारण अलग-अलग है।

30. विद्वान वकील ने आगे कहा कि सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के मुद्दे का इस सवाल से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या वादी को सी. पी. सी. के आदेश VI नियम 17 के प्रावधानों के तहत वाद में संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

31. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण यह हो सकता है

बर्खास्त कर दिया।

विश्लेषण

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया कि अदालतों को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियमों के कारण लाई गई वैधानिक सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए; आदेश VI नियम 17 में संलग्न परंतुक उनमें से एक है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन में, गोरखपुर बनाम. भगवान दास (2008) 8 एस. सी. सी. 511 में प्रतिवेदित, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों में कानून निर्धारित किया गया हैः (एस. सी. सी पी. 517, पैरा 16)

" 16. जहाँ तक आदेश 6 नियम 17 के तहत संशोधनों को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के प्रश्न को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का संबंध है।

सी. पी. सी. (जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था) का संबंध है, ये भी अच्छी तरह से स्थापित हैं। आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी.

कार्यवाहियों के किसी भी चरण में अभिवचनों का संशोधन। में।

पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम। कलगोंडा शिडगोंडा पाटिल [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 363] जो अभी भी इस क्षेत्र में हैं, यह माना गया कि सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो दोनों को संतुष्ट करते हैं।

शर्तेंः (क) दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न करना, और (ख) पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक होना। संशोधनों को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब दूसरे पक्ष को उसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता है जैसे कि अभिवचन मूल रूप से सही था, लेकिन संशोधन से उसे चोट लगेगी जिसकी भरपाई लागत में नहीं की जा सकती थी। (गजानन जयकिशन जोशी बनाम को भी देखें। प्रभाकर मोहनलाल कलवार [(1990) 1

एस. सी. सी. 166]। "

34. पी. ए. जयलक्ष्मी बनाम के मामले में एच. शारदा और अन्य ने (2009) 14 एस. सी. सी. 525 में रिपोर्ट किया, उपरोक्त टिप्पणियों को इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया था और उसी के आलोक में, इस न्यायालय ने पैरा 9 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) सी. टी., 1976 के कारण, ई-मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए उपाय किए गए हैं। उपर्युक्त संसदीय अधिनियम को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1999 और 2002 में और संशोधन किए गए। दाखिल करने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य सेदेर से अभिवचनों के संशोधन के लिए अनुरोध, आदेश 6 नियम 17 में जोड़ा गया एक परंतुक जो निम्नानुसार हैः

" 17. अभिवचनों का संशोधन। अदालत कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किसी भी पक्ष को अपने फैसले में बदलाव या संशोधन करने की अनुमति दे सकती है।

इस तरह से और ऐसी शर्तों पर निवेदन करना जो हो सकता है

न्यायसंगत और ऐसे सभी संशोधन किए जाएँगे जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक होंः

बशर्ते कि संशोधन के लिए कोई आवेदन नहीं होगा

मुकदमा शुरू होने के बाद अनुमति दी जाती है, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि उचित परिश्रम के बावजूद,

पार्टी इस मामले को पहले नहीं उठा सकती थी

मुकदमे की शुरुआत।

5. बी. के. नारायण पिल्लई बनाम परमेश्वरन पिल्लई और (2000) 1 एस. सी. सी. 712 में रिपोर्ट की गई, इस न्यायालय ने निम्नलिखित का उल्लेख कियाः

ए. के. गुप्ता एंड संस लिमिटेड बनाम दामोदर घाटी

ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 96 में सूचित किया गया था, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः4. यह न्यायालय ए. के. गुप्ता एंड संस लिमिटेड बनाम दामोदर घाटी

अर्पन। [ए. आई. आर 1967 एस. सी. 96: (1966) 1 एससीआर 796] ने अभिनिर्धारित कियाः

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य नियम यह है कि किसी दल को अनुमति नहीं है।

एक नया मामला या एक नया कारण स्थापित करने के लिए संशोधन द्वारा

विशेष रूप से जब नए मामले या कारण पर मुकदमा चलाया जाता है

कार्रवाई प्रतिबंधित हैः वेल्डन वी. नील [(1887) 19 क्यूबीडी 394: 56 एलजे क्यूबी 621]। लेकिन यह भी अच्छी तरह से माना जाता है कि जहां संशोधन कार्रवाई के एक नए कारण को जोड़ने का गठन नहीं करता है या एक अलग मामला नहीं उठाता है, लेकिन समान तथ्यों के लिए एक अलग या अतिरिक्त दृष्टिकोण से अधिक नहीं है, तो संशोधन की अनुमति वैधानिक सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद भी दी जाएगीः

चरण दास बनाम देखें। आमिर खान [एयर 1921 पीसी 50: आई. एल. आर. 48 कैल 110]
और एल. जे. लीच और

कं. लिमिटेड बनाम। जार्डिन स्किनर एंड कंपनी [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 357:

1957 एस. सी. आर. 438] नेश प्रसाद बनाम। राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस।

[जे. बी. पारदीवाला, जे.]

मुख्य कारण जो इस नियम को अंतिम रूप देते हैं

उल्लेख किया गया है, सबसे पहले, कि अदालतों और प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य पक्षों के अधिकारों का फैसला करना है और उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंडित करना नहीं है (क्रॉपर बनाम। स्मिथ [(1884) 26 सीएचडी 700: 53 एलजे सीएच 891: 51 एल. टी. 729]) और दूसरी बात,

कि एक पक्ष सख्ती से क़ानून पर भरोसा करने का हकदार नहीं है

सीमा जब द्वारा लाए जाने की मांग की जाती है

संशोधन को सार में पहले से ही कहा जा सकता है

संशोधन की मांग की गई (किसानदास रूपचंद बनाम।

रचप्पा विठोबा शिलवंत [आई. एल. आर. (1909) 33 बम 644: 11 बम एल. आर. 1042] पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम में अनुमोदित।

कलगोंडा शिडगोंडा पाटिल [ए. आई. आर 1957 एस. सी. 363: 1957 एससीआर

595]) .

वर्तमान संदर्भ में 'कार्रवाई का कारण' अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं है कि 'हर वह तथ्य जो वादी को सफल होने का अधिकार देने के लिए साबित किया जाना चाहिए' जैसा कि कुक v में कहा गया था। गिल [(1873) 8 सीपी 107: 42 एलजेसीपी 98: 28 एल. टी. 32] एक अलग संदर्भ में, क्योंकि यदि ऐसा था, तो किसी भी भौतिक तथ्य को कभी भी संशोधित या जोड़ा नहीं जा सकता था और निश्चित रूप से, कोई भी संशोधन द्वारा एक अभौतिक आरोप को बदलना या जोड़ना नहीं चाहेगा।

वर्तमान उद्देश्य के लिए उस अभिव्यक्ति का अर्थ केवल नए तथ्यों द्वारा गठित एक नए आधार पर किया गया एक नया दावा है। ऐसा दृष्टिकोण रॉबिन्सन बनाम में लिया गया था। यूनिकोस प्रॉपर्टी कार्पोरेशन। लिमिटेड [(1962) 2 ऑल ई. आर. 24 (सी. ए.)] और हमें लगता है कि यह एकमात्र संभावित दृष्टिकोण है। कोई अन्य दृष्टिकोण यह बनाएगा कि

नियम व्यर्थ। 'नया मामला' शब्दों का अर्थ 'विचारों का नया समूह' समझा गया हैः डोर्नन वी. जे. डब्ल्यू. एलिस एंड कंपनी लि.

[(1962) 1 समस्त ई. आर. 303 (सी. ए.)] यह भी हमें एक उचित दृष्टिकोण प्रतीत होता है। किसी भी संशोधन को किसी भी अधिकार के पूर्वाग्रह के लिए विचारों के एक नए समूह को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

समय के अंतराल पर किसी भी पक्ष द्वारा अधिग्रहित।

गंगा बाई बनाम में लाभ। विजय कुमार [(1974) 2 एस. सी. सी. 393]

हमारा आयोजनः (एस. सी. सी पी. 399, पैरा 22)

" संशोधन की अनुमति देने की शक्ति निस्संदेह व्यापक है।

और किसी भी स्तर पर उचित रूप से प्रयोग किया जा सकता है

न्याय के हित, सीमा के कानून के बावजूद। लेकिन इस तरह की दूरगामी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग न्यायिक विचारों और व्यापक [2023] 6 एस. सी. आर. द्वारा नियंत्रित होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट विवेक, अधिक देखभाल और सावधानी होनी चाहिए

अदालत की ओर से।

गणेश ट्रेडिंग कं. वी. मोजी राम [(1978) 2 एस. सी. सी. 91]

आयोजितः (एस. सी. सी पी. 93, पैरा 4)

" 4. यह मुख्य नियमों के पूर्वगामी सारांश से स्पष्ट है।

उन अभिवचनों के जो संशोधन के लिए प्रावधान करते हैं

वाद, लागत जैसी शर्तों के अधीन और संशोधनों के परिणामस्वरूप सटीक स्थितियों को पूरा करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक अवसर देने का उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देना है न कि उन्हें पराजित करना। भले ही कोई पक्ष या उसका वकील शुरू में अपने मामले को निर्धारित करने में अक्षम हो, लेकिन इस कमी को निश्चित रूप से आम तौर पर एक पक्ष द्वारा उठाए गए उचित कदमों से दूर किया जा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि असुविधा या खर्च के लिए लागत का भुगतान करें।

इसकी चूक से दूसरी तरफ हुआ। त्रुटि को ठीक करने में असमर्थ नहीं है जब तक कि उपचारात्मक कदम अनुचित रूप से अर्जित अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। .....

36. इस न्यायालय के हाल के निर्णयों में से एक में, भारतीय बीमा निगम के मामले में v. संजीव बिल्डर्स प्राइवेट

ईडी और एक अन्य, 2022 की सिविल अपील संख्या 5909 दिनांक 01.09.2022, कानून के प्रावधान को निम्नानुसार समझाया गया हैः

" 70. ((ii) सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो हैं -

विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आवश्यक

बशर्ते कि यह दूसरे के साथ अन्याय या पूर्वाग्रह का कारण न बने

एक तरफ। यह अनिवार्य है, जैसा कि उपयोग से स्पष्ट है

आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्द्ध भाग में शब्द "होगा"

सीपीसी।

((iii) संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जानी चाहिए।

(i) यदि प्रभावी और उचित होने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय, और

((ii) कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, बशर्ते कि

(ए) संशोधन के परिणामस्वरूप अन्याय नहीं होता है

दूसरी तरफ,

(ख) संशोधन द्वारा, संशोधन की मांग करने वाले पक्ष एनेश प्रसाद v द्वारा की गई किसी भी स्पष्ट स्वीकारोक्ति को वापस लेने की कोशिश नहीं करते हैं।

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उस पक्ष द्वारा जो दूसरी तरफ अधिकार प्रदान करता है

और (ग)
संशोधन एक समयबद्ध दावे को नहीं उठाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक मूल्यवान संपत्ति के दूसरे पक्ष का विनिवेश होता है।

उपार्जित अधिकार (कुछ स्थितियों में)।

((iv) आम तौर पर संशोधन के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है अनुमति है जब तक कि

(i) संशोधन द्वारा, एक समयबद्ध दावा पेश करने की मांग की जाती है, जिस स्थिति में यह तथ्य कि दावा समयबद्ध होगा, विचार के लिए एक प्रासंगिक कारक बन जाता है।

((ii) संशोधन मुकदमे की प्रकृति को बदल देता है,

((ग) संशोधन के लिए प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है, या
((iv) संशोधन द्वारा, दूसरा पक्ष एक वैध बचाव खो देता है।

(v) अभिवचनों के संशोधन के लिए एक प्रार्थना से निपटने में, न्यायालय को एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, और है आमतौर पर उदार होने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जहां इसके विपरीत

पक्ष को लागत द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

(vi) जहां संशोधन न्यायालय को पिन करने में सक्षम बनाएगा

विवाद पर स्पष्ट रूप से विचार करें और अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सहायता करें, संशोधन के लिए प्रार्थना होनी चाहिए

अनुमति दी जाए।

कार्रवाई का वर्जित कारण, संशोधन की अनुमति सीमा समाप्त होने के बाद भी दी जा सकती है। ((viii) जहां इसका इरादा हो, वहां संशोधन की न्यायोचित अनुमति दी जा सकती है।

वाद में सामग्री विवरणों की अनुपस्थिति को ठीक करना। (ix) केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां विलंब का पहलू तर्क योग्य है, संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और

निर्णय के लिए अलग से बनाई गई सीमा।

(x) जहां संशोधन मुकदमे की प्रकृति या कार्रवाई के कारण को बदल देता है, ताकि एक पूरी तरह से नया मामला स्थापित किया जा सके,

शिकायत में स्थापित मामले के लिए विदेशी, संशोधन [2023] 6 एस. सी. आर. होना चाहिए।

मना किया जाए। हालाँकि, जहाँ माँगा गया संशोधन केवल वाद में राहत के संबंध में है, और उन तथ्यों पर आधारित है जो पहले से ही वाद में दिए गए हैं, आमतौर पर

संशोधन की अनुमति देने की आवश्यकता है।

(xi) जहाँ मुकदमा शुरू होने से पहले संशोधन की मांग की जाती है, वहाँ न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में उदार होना आवश्यक है। अदालत को इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि विरोधी पक्ष को संशोधन में स्थापित मामले को पूरा करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार, जहां संशोधन के परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष के प्रति अपूरणीय पूर्वाग्रह नहीं होता है, या

एक लाभ का विरोधी पक्ष जिसे उसने एक के रूप में प्राप्त किया था संशोधन की मांग करने वाले पक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, संशोधन की अनुमति दी जानी आवश्यक है। समान रूप से, जहां अदालत के लिए पक्षों के बीच विवाद के मुख्य मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए संशोधन आवश्यक है, वहां संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। (विजय गुप्ता बनाम देखें। गैग्निंडर

क्र. गांधी और ओआरएस। , 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 1897) "

37. इस प्रकार, वादी और प्रतिवादी को दोषपूर्ण, लिखित बयान में संशोधन करने या एक अतिरिक्त लिखित बयान दायर करने का अधिकार है। हालाँकि, यह एक अपवाद के अधीन है कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा, एक विरोधी पक्ष अन्याय के अधीन नहीं होना चाहिए और दूसरे पक्ष के पक्ष में किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति गलत नहीं है। अभिवचनों के सभी संशोधनों को उदारता से अनुमति दी जानी चाहिए जो आवश्यक हैं

वाद में वास्तविक विवादों का निर्धारण बशर्ते कि प्रस्तावित संशोधन कार्रवाई के किसी नए कारण को परिवर्तित या प्रतिस्थापित नहीं करता है, जिसके आधार पर मूल विधेयक उठाया गया था या बचाव किया गया था।

38. तथ्यों की स्वीकृत स्थिति या तथ्यों के पारस्परिक रूप से विनाशकारी आरोपों को नकारते हुए असंगत और विरोधाभासी आरोप

अभिवचनों में संशोधन के माध्यम से शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 39. वर्तमान मामले में, लघु कारण न्यायालय में दायर किया गया पहला मुकदमा इस आधार पर था कि एक किरायेदार के रूप में प्रतिवादी किराए के बकाया में था और उसने किराएदार परिसर में गैर-कानूनी रूप से उप-किरायेदारों को शामिल किया था। इस प्रकार, वादी एक मामला सामने रखते हैं, जैसे कि पक्षों के बीच एक मकान मालिक किरायेदार संबंध था। उक्त मुकदमा गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया। बाद में, वर्तमान मुकदमा सिविल कोर्ट में इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया कि वादी को बंधक को भुनाने और मुकदमे की संपत्ति का कब्जा वापस लेने की अनुमति दी जाए।

गणेश प्रसाद बनाम. राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस।

[जे. बी. पारदीवाला, जे.]

40. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान वाद जिसमें निम्नलिखित न्यायालय

वादी को वाद में संशोधन करने की अनुमति प्रतिवादी द्वारा पहले मुकदमे में दायर अपने लिखित बयान में लिए गए रुख पर आधारित है, यानी 2007 का लघु कारण मामला संख्या 3, जिसे गैर अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने अपना मामला नहीं छोड़ा है कि प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति में किरायेदार है और उसने उप-किरायेदारों को शामिल किया है। वादी का भी यही मामला है कि प्रतिवादी किराए के बकाया में है। इस प्रकार, वर्तमान वाद में वादी का रुख

दो गुना है। पहला, जहां तक किरायेदार-मकान मालिक के संबंध का संबंध है और दूसरा, बंधक के मोचन का मामला।

41. दलीलें इतनी खराब और दयनीय हैं कि इसके परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को यह समझना बेहद मुश्किल हो गया कि वादी का क्या इरादा है

संशोधन के माध्यम से कहना। बहुत प्रयास के साथ, अंततः हम क्या करते हैं

यह समझने में सक्षम हुए हैं कि अपीलार्थी प्रतिवादी के पिता स्वर्गीय गुलाब चंद मुकदमे की संपत्ति के बंधक थे। वादी के पिता, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद गिरवी रखने वाले थे और उन्होंने अपीलार्थी प्रतिवादी के पिता के पक्ष में 1 करोड़ रुपये की राशि के लिए एक गिरवी विलेख निष्पादित किया। 700 / - . अपीलार्थी प्रतिवादी के दादा स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद वर्ष 1953 से रुपये की दर से किरायेदार के रूप में मुक़दमे की संपत्ति पर कब्जे में रहे। 23 मासिक किराया और बाद में अपीलार्थी प्रतिवादी के पिता ने वर्ष 2005 यानी उनकी मृत्यु के वर्ष तक किरायेदार के रूप में मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसके बाद, अपीलार्थी प्रतिवादी मुक़दमे की संपत्ति का किरायेदार बन गया। अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा यह बताने की कोशिश की जाती है कि वादी के दादा और पिता मुक़दमे की संपत्ति में किरायेदार थे और एक बंधक विलेख भी तैयार किया गया था और उसे निष्पादित किया गया था

उसी संपत्ति के संबंध में वर्ष 1957 में। वादी का भी यही मामला है कि अपीलार्थी प्रतिवादी ने वाद संपत्ति में उप-किरायेदारों को शामिल किया है।

42. फर्म श्रीनिवास राम कुमार बनाम के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। महाबीर प्रसाद और अन्य ने रिपोर्ट किया ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 177 ने अभिनिर्धारित किया है कि एक पक्ष अपने मामले के समर्थन में वैकल्पिक याचिकाएं लेने का हकदार है। जहाँ प्रतिवादी की स्वीकृत स्थिति से कुछ हद तक वैकल्पिक याचिकाएँ उत्पन्न होती हैं, वहाँ ऐसी याचिका केवल इसलिए अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि यह अन्य याचिका के साथ असंगत है। इसने अभिनिर्धारित किया कि एक वादी वैकल्पिक रूप से विभिन्न अधिकारों पर भरोसा कर सकता है और इसमें कुछ भी नहीं है

सी. पी. सी. किसी पक्ष को विकल्प में राहत का दावा करने वाले दो या दो से अधिक असंगत आरोप लगाने से रोकने के लिए। इसने आगे [2023] 6 एस. सी. आर. को देखा।

कि यद्यपि न्यायालय को किसी ऐसे मामले में वादी को राहत नहीं देनी चाहिए जिसमें किसी ऐसे अभिवचन में कोई आधार नहीं है जिस पर दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया गया था या जिसे मिलने का अवसर नहीं मिला था, तब भी जब वैकल्पिक मामला जो, वादी कर सकता था, न केवल प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में स्वीकार किया गया था, बल्कि वादी द्वारा वाद में किए गए दावे के जवाब के रूप में स्पष्ट रूप से सामने रखा गया था, वादी को उस मामले पर डिक्री देने में कुछ भी अनुचित नहीं होगा जिस पर प्रतिवादी

44. प्रफुल्ल मनोहर रेले बनाम। कृष्णबाई नारायण घोसालकर और अन्य ने (2014) 11 एस. सी. सी. 316 में रिपोर्ट दी, इस न्यायालय ने फर्म श्रीनिवास राम कुमार (ऊपर) में निर्णय का पालन किया और इस सिद्धांत को दोहराया कि एक वादी द्वारा वैकल्पिक और असंगत याचिकाएं ली जा सकती हैं। उस मामले में, वादी ने उसमें आरोप लगाया था कि प्रतिवादी और उसके कानूनी प्रतिनिधि मुकदमे के परिसर पर कब्जा कर रहे थे निःस्वार्थ लाइसेंसधारी और इस तरह के लाइसेंस की समाप्ति पर, वादी कब्जे के लिए एक डिक्री का हकदार था। निचली अदालत ने पाया कि प्रतिवादी किरायेदार थे न कि लाइसेंसधारी, जैसा कि वादी ने आरोप लगाया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसके विपरीत एक निष्कर्ष दर्ज किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादियों को वादी द्वारा मानवीय आधार पर और अनावश्यक लाइसेंसधारियों के रूप में मुकदमे की संपत्ति में जाने दिया गया था और वादी द्वारा लाइसेंस को वैध रूप से समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार, इसने प्रतिवादियों के बचाव को नकार दिया कि वे किरायेदार थे। शिकायत में ही, उसमें वादी ने एक गणेश प्रसाद v लिया था।

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वैकल्पिक याचिका में कहा गया है कि वह प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से वास्तविक व्यक्तिगत आवश्यकता, उपद्रव, झुंझलाहट और परिसर और आसपास की उद्यान भूमि को हुए नुकसान के आधार पर परिसर के खाली कब्जे का हकदार था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी की वैकल्पिक याचिका और प्रतिवादियों द्वारा स्थापित बचाव पक्ष एक दूसरे से अलग नहीं थे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी के लिए यह न केवल लाइसेंस का अनुरोध लेने के लिए खुला है, बल्कि कब्जे की वसूली में राहत के लिए अपनी याचिका के समर्थन में वैकल्पिक रूप से किरायेदारी का अनुरोध करने के लिए भी खुला है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उसमें प्रतिवादियों ने विशेष रूप से स्वीकार किया था कि संपत्ति वे वादी के हैं और वे किरायेदारों के रूप में उस पर कब्जा कर रहे थे, और एक मुद्दा यह भी तैयार किया गया था कि क्या प्रतिवादी लाइसेंस के रूप में या किरायेदारों के रूप में व्यवसाय में थे, और प्रतिवादियों को यह साबित करने का पूरा अवसर था

उनके संबंधित मामले। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों को वादी द्वारा अनुरोध किए गए वैकल्पिक मामले से आश्चर्य हुआ है और न ही अदालत द्वारा अनुमति दी जा रही वैकल्पिक याचिका से उनके साथ कोई अन्याय हो सकता है। इसने कहा कि भले ही अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे में वैकल्पिक याचिका को उठाने की अनुमति नहीं दी गई होती, लेकिन वह निश्चित रूप से उस याचिका को उठाने और उन्हीं आधारों पर दायर एक अलग मुकदमे में बेदखली की मांग करने का हकदार होता।

45. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत रेवजीतु बिल्डर्स (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को एक अवसर मिला था -

आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. उस मामले में, उषा बालासाहेब स्वामी और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय। किरण अप्पासो स्वामी

और (2007) 5 एस. सी. सी. 602 में रिपोर्ट किए गए अन्य का अनुसरण किया गया। इसने मेसर्स में निर्णय का उल्लेख किया। गणेश ट्रेडिंग कं. वी. मोजी राम ने रिपोर्ट किया

(1978) 2 एस. सी. सी. 91, जिसमें पैरा 50 में, इस न्यायालय ने कहा कि यदि कोई वादी कार्रवाई के कारण को स्वयं बदलना चाहता है और अपने वाद के संशोधन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इसे पेश करता है, तो कार्रवाई का एक पूरी तरह से नया या असंगत कारण, जो वस्तुतः एक नए वाद के प्रतिस्थापन या मूल रूप से जो था उसके स्थान पर कार्रवाई का एक नया कारण है, न्यायालय इसे अनुमति देने से इनकार कर देगा, यदि यह उस पक्ष को वंचित करने के बराबर है, जिसके खिलाफ एक मुकदमा लंबित है, किसी भी अधिकार से जो समय बीतने के कारण उसके पक्ष में अर्जित हो सकता है।

46. हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त टिप्पणियां भी इसमें अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आती हैं, क्योंकि गणेश ट्रेडिंग कंपनी (ऊपर) के फैसले में भी, इसने फर्म श्रीनिवास राम कुमार (ऊपर) में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख नहीं किया था।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसका लिखित बयान और वादी की ऐसी याचिका एक विकल्प है। याचिका, भले ही यह मूल याचिका के साथ असंगत है, क्योंकि प्रतिवादी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसलिए न्यायालय संशोधन की अनुमति देने से वंचित नहीं है।

48. इस स्तर पर, हम इस निर्णय पर भरोसा कर सकते हैं

मध्य प्रदेश राज्य के मामले में न्यायालय बनाम। भारत संघ और एक अन्य ने (2011) 12 एस. सी. सी. 268 में रिपोर्ट किया। हम निर्णय के पैरा 8 में निहित प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करते हैं: -

" 8. संहिता के आदेश 6 नियम 17 का उद्देश्य और उद्देश्य है -

किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति देना जो उचित हो। संशोधन को अधिकार के मामले के रूप में और सभी परिस्थितियों में दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदालतों को इस तरह की प्रार्थनाओं पर निर्णय लेते समय अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। उदार दृष्टिकोण सामान्य नियम होना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां दूसरे पक्ष को लागत के साथ क्षतिपूर्ति की जा सकती है। आम तौर पर, संशोधनों की अनुमति है।

अनेक मुकदमों से बचने के लिए अभिवचनों में।

(जोर दिया गया)

49. अपीलार्थी प्रतिवादी ने भी एक तर्क प्रस्तुत किया है

सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के लागू होने के संबंध में उनकी इस दलील को सही बनाने के लिए कि संशोधन की अनुमति वर्तमान के रूप में नहीं दी जानी चाहिए।

मुकदमा अपने आप में विचारणीय नहीं है क्योंकि लघु कारण न्यायालय में दायर पहले का मुकदमा सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 8 के प्रावधानों के तहत गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था।

50. हम इस स्तर पर यह कहते हुए मामले को बंद कर सकते थे कि यदि यह अपीलार्थी प्रतिवादी का मामला है कि वर्तमान मुकदमा नहीं है।

सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 को ध्यान में रखते हुए, तब उसके लिए वाद की अस्वीकृति के लिए आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन दायर करके निचली अदालत के समक्ष ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार होगा। हालाँकि, हमारा विचार है कि प्रक्रियात्मक कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, हम इस अपील में ही यह समझाने का अवसर लेते हैं कि सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 की याचिका क्यों विफल होनी चाहिए।

51. आदेश IX नियम 9 इस प्रकार है:
" 9. वादी के खिलाफ आदेश डिफ़ॉल्ट रूप से नए मुकदमे को रोकता है। - (1) जहां नियम 8 के तहत किसी मुकदमे को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, वहां गणेश प्रसाद v.

राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वादी को नया मुकदमा लाने से रोका जाएगा।

कार्रवाई के एक ही कारण का सम्मान। लेकिन वह बर्खास्तगी को दरकिनार करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसकी गैर-उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था जब मुकदमा
सुनवाई के लिए बुलाया गया था, न्यायालय ऐसी शर्तों पर बर्खास्तगी को रद्द करने का आदेश देगा जो वह उचित समझे, और इसके लिए एक दिन निर्धारित करेगा।

सूट के साथ आगे बढ़ें।

(2) इस नियम के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना विरोधी पक्ष को नहीं दी गई हो।

52. आदेश IX नियम 9 कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में नए मुकदमे पर रोक लगाता है यदि आदेश IX में संकेत के अनुसार पहले का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। सी. पी. सी. का नियम 8। "कार्रवाई का एक ही कारण" शब्द का महत्व है।

सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 8 के तहत प्रतिबंध केवल उसी कार्रवाई के कारण के संबंध में बाद के मुकदमे पर लागू होता है। यदि बाद के मुकदमे में कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था, जिसका पहले के मुकदमे में कार्रवाई के कारण से कोई लेना-देना नहीं है, तो वैधानिक बार का ऐसे बाद के मुकदमों पर कोई आवेदन नहीं है। यह केवल कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर कई मुकदमे दायर करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से था, क्रमिक रूप से पहले के मुकदमे को खारिज करने के बाद भी प्रावधान पेश किया गया है। विधायिका का इरादा दलों के बीच बाद के मुकदमों को रोकने का नहीं था और यह योग्यता वाले शब्दों, "कार्रवाई का एक ही कारण" से स्पष्ट था। इसलिए, सब कुछ कार्रवाई के कारण पर निर्भर करता है और यदि कार्रवाई का बाद का कारण पूरी तरह से अलग तथ्यों के समूह से उत्पन्न होता है, तो इस तरह के मुकदमे को सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के प्रावधान का आश्रय लेकर खारिज नहीं किया जा सकता है।

53. गया नगरपालिका बनाम में यह न्यायालय। राम प्रसाद भट्ट और अन्न। 8 सितंबर, 1967 को तय की गई 1965 की सिविल अपील संख्या 29 में सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के दायरे को इस प्रकार समझाया गया है:

" हमारे विचार में, वर्तमान वाद ओ. आई. एक्स. आर. द्वारा वर्जित नहीं है। 9 , सी. पी. सी. कार्रवाई के कारणों का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत

मोहम्मद खलील खान बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा दो मुकदमों में अलग-अलग हैं या निर्धारित नहीं किए गए थे। महबूब अली खान ए. आई. आर. (1949) पी. सी. 78 और सूरज रतन थिरानी बनाम में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित। आज़मााबाद टी कंपनी ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 295। एकमात्र सवाल यह है कि क्या इन्हें लागू किया जाता है।

सिद्धांत उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि कारण [2023] 6 एस. सी. आर.

वर्तमान वाद में कार्रवाई उस से अलग थी 1941 सूट। हमें ऐसा लगता है कि यदि दोनों मैदानों का बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो यह प्रतीत होगा कि पहले मामले में कारण

शिकायत प्रतिवादी नगरपालिका द्वारा एक धमकी थी

वादी के घर के तुरंत दक्षिण में स्टालों का निर्माण करके उसके कथित अधिकारों में हस्तक्षेप करना। उस समय नहीं।

स्टालों का निर्माण किया गया था और कथित अधिकार

वादी का वास्तव में उल्लंघन नहीं किया गया था। मुकदमे के दौरान स्टालों का निर्माण शुरू किया गया था, और वादी के घर से कुछ सराहनीय दूरी पर, मुकदमा चूक के लिए खारिज होने के बाद पूरा किया गया था। इसके अलावा 1941 के मुकदमे में शिकायत थी कि नगर निगम के नाले के ठीक दक्षिण में फुटपाथ का उपयोग करने के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस फुटपाथ का उपयोग पैदल चलने वालों और वादी की दुकान के ग्राहकों द्वारा किया गया था; ऐसा कोई आरोप नहीं था कि हैलिडे रोड तक पहुंचने के उनके अधिकार को धमकी दी जा रही थी या उसका उल्लंघन किया जा रहा था। वर्तमान वाद में जो पर्याप्त रूप से आरोप लगाया गया है वह यह है कि वादी को वादी के घर से सटे और उसके सामने स्थित कथित भूखंड संख्या 11459 के सभी पक्षों से घर में प्रवेश करने का अधिकार था।

यह भी ध्यान दिया जाएगा कि वर्तमान शिकायत में आरोप लगाया गया है कि

वादी के पहुँच के कथित अधिकार का स्थायी अभाव

हैलिडे रोड तक। निर्माण स्थायी हैं। प्रकृति, और, हमारे विचार में, कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न हुआ जब

स्टालों का निर्माण 1942 में किया गया था।

54. कार्रवाई का कारण क्या है, अब इसे किसी भी संदेह से परे सुलझा लिया गया है। उस अभिव्यक्ति की उत्कृष्ट परिभाषा कुक बनाम में लॉर्ड जस्टिस ब्रेट की है। हेनरी एस. गिल ने (1873) एल. आर. 8 सी. पी. 107 में इस प्रकार बतायाः

" ' कार्रवाई का कारण सबसे पहले से ही हर उस तथ्य के अर्थ में माना गया है जो वादी को सफल होने का अधिकार देने के लिए साबित किया जाना चाहिए-हर वह तथ्य जो प्रतिवादी को चाहिए।

पार करने का अधिकार है।

55. लॉर्ड जस्टिस फ्राय ने इसे नकारते हुए कहा, "सब कुछ।

ज, यदि साबित नहीं होता है, तो प्रतिवादी को सलाह देने का तत्काल अधिकार देता है, जो कार्रवाई के कारण का हिस्सा होना चाहिए। यह परिभाषा हैबाद के सभी निर्णयों में 'कार्य के कारण' की व्याख्या शामिल है। इसे दीप नारायण सिंह बनाम में स्वीकार किया गया था। यानी डायटर्ट और ए. एन. आर. आई. एल. आर. (1904) 31 कैल 274 में पी.

और प्रिवी काउंसिल द्वारा मोहम्मद खलील खान और अन्य बनाम। महबूब अली मियां और अन्य ने ए. आई. आर. 1949 पी. सी. 78 में पी. 86 , पैरा 61 बिन्दु सं. 2.

मोहम्मद खलील खान (ऊपर), जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है, यह बिंदु अनुच्छेद 61 में प्रिवी काउंसिल के फैसले में दिया गया है। सं. (5), इस प्रकार हैः

" कार्रवाई के कारण का प्रतिवादी द्वारा स्थापित किए गए बचाव से कोई संबंध नहीं है और न ही यह वादी द्वारा मांगी गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है। यह संदर्भित करता है

..... मीडिया के लिए जिस पर वादी अदालत से पूछता है

उसके पक्ष में एक निष्कर्ष पर पहुँचें। 57. कार्रवाई के कारण को भी 'उपचार' से अलग किया जाना चाहिए।

जो वह साधन या विधि है जिसके द्वारा कार्रवाई का कारण या संबंधित दायित्व प्रभावी होता है और जिसके द्वारा गलत का निवारण किया जाता है और राहत प्राप्त की जाती है। एक से पहले और दूसरे को जन्म देता है, लेकिन वे एक दूसरे से अलग और अलग हैं और अलग-अलग नियमों और सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं। कार्रवाई का कारण वह दायित्व है जिससे "कार्रवाई" उत्पन्न होती है, जिसे किसी दायित्व को लागू करने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है, कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न होता है जब जो किया जाना चाहिए था वह नहीं किया जाता है या जो नहीं किया जाना चाहिए था वह किया जाता है। कार्रवाई के कारण के आवश्यक तत्व इस प्रकार प्रतिवादी में एक संबंधित कानूनी कर्तव्य के साथ वादी में एक कानूनी अधिकार का अस्तित्व है, और वादी को परिणामी चोट या क्षति के साथ उस 'अधिकार या कर्तव्य' का उल्लंघन या उल्लंघन है जिसके लिए वह उचित राहत या राहत के लिए कार्रवाई कर सकता है। किसी कार्रवाई को बनाए रखने का अधिकार कार्रवाई के कारण के अस्तित्व पर निर्भर करता है जिसमें अधिकार का एक संयोजन शामिल होता है - वादी और प्रतिवादी द्वारा ऐसे अधिकार का उल्लंघन। प्रतिवादी की ओर से कर्तव्य एक अनुबंध से उत्पन्न हो सकता है या अनुबंध से स्वतंत्र सकारात्मक कानून द्वारा लगाया जा सकता है, यह अनुबंध या पूर्व निर्णय से उत्पन्न हो सकता है। स्वैच्छिक अनुबंध या सकारात्मक कानून द्वारा वादी के पक्ष में प्रतिवादी पर लगाए गए कुछ कर्तव्य के उल्लंघन से वादी के अधिकार पर आक्रमण से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। (देखिएः सरदार बलबीर सिंह बनाम ए. आई. आर. 1977 ए. एल. एल. 211 (एफ. बी.) में आत्म राम श्रीवास्तव ने रिपोर्ट किया)

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. दूसरा, कार्रवाई के कारण को उस साक्ष्य से अलग किया जाना चाहिए, जिस पर कार्रवाई का कारण साबित होता है और हालांकि एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, फिर भी कार्रवाई के कारण की प्रकृति को उस साक्ष्य की प्रकृति से इंगित किया जा सकता है जिसके द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। यह फिर से मोहम्मद खलील खान (उपरोक्त) पैरा में स्पष्ट किया गया है। 61 पी में।

86 अंक संख्या में। 3 और 4, जिन्हें निम्नानुसार रखा गया हैः

" (3) यदि दोनों दावों के समर्थन में साक्ष्य अलग-अलग हैं,

तब कार्रवाई के कारण भी अलग-अलग होते हैं।

(4) दोनों मुकदमों में कार्रवाई के कारण पर विचार किया जा सकता है

समान हो अगर वे पदार्थ में समान हैं। .....

59. मोहम्मद खलील खान (ऊपर) मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर इस अदालत ने सूरज रतन थिरानी और अन्य बनाम के मामले में ध्यान दिया था। आज़माबाद टी कंपनी लिमिटेड और अन्य ने ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 295 में रिपोर्ट किया। यह न्यायालय, के वास्तविक उद्देश्य की व्याख्या करते हुए

सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 को पैरा 29 और 30 के जवाब में निम्नानुसार देखा गयाः

" 28. कार्रवाई का कारण तथ्यों का एक समूह है जिसके आधार पर राहत का दावा किया जाता है। यदि पहले मुकदमे में आरोपित तथ्यों के अलावा, आगे के तथ्यों का आरोप लगाया जाता है और उनके आधार पर भी राहत मांगी जाती है, और उन्होंने अक्टूबर 1934 में कब्जे और बेदखल करने के आरोपों के बारे में अतिरिक्त तथ्यों को समझाया, तो कानून में स्थिति यह थी कि मुकदमे का पूरा रंग इस परिणाम के साथ बदल दिया जाता है कि आदेश 9 नियम 9 के शब्द "कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में" संतुष्ट नहीं होते हैं और वादी पूरे मामले को फिर से दर्ज करने का हकदार है।

दूसरे मुकदमे में कार्रवाई का कारण। इसके समर्थन में

प्रस्तुत करते हुए, विद्वान वकील ने कुछ निर्णयों में कुछ टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें हम संदर्भित करना आवश्यक नहीं मानते हैं क्योंकि हम इसमें कोई सार नहीं देखते हैं।

तर्क।

29. हम मानते हैं कि न्यायिक समिति द्वारा कार्रवाई के कारणों की पहचान निर्धारित करने के लिए अपनाए गए परीक्षण में दो शामिल हैं।

मोहम्मद खलील खान बनाम में सूट। महबूब अली मियां [75 IA

121] ध्वनि है और सही ढंग से व्यक्त करता है

प्रावधान की व्याख्या। उस मामले में सर माधवन

नायर, सिविल प्रक्रिया के आदेश 2 नियम 2 के पैरा (1) में समान संदर्भ में आने वाली "कार्रवाई का एक ही कारण" अभिव्यक्ति के अर्थ की विस्तृत चर्चा के बाद

कोड ने देखाः

गणेश प्रसाद बनाम. राजेश्वर प्रसाद और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" इस बात पर विचार करते हुए कि क्या कार्रवाई का कारण

बाद का मुकदमा कार्रवाई के कारण के रूप में समान है या नहीं

पिछला मुकदमा, लागू किया जाने वाला परीक्षण इसके कारण हैं/हैं

पदार्थ में दो सूट में कार्रवाई-तकनीकी रूप से नहीं

—

समान? " "

60. इस प्रकार, हम इसे यह कहते हुए सारांशित कर सकते हैं कि आदेश IX नियम 9

सी. पी. सी. का प्रावधान है कि जब नियम 8 (चूक के लिए खारिज) के तहत मुकदमा पूरी तरह से या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, तो वादी को कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में एक नया मुकदमा लाने से रोका जाएगा। सिविल जज (जे. डी.) के न्यायालय में दायर किया गया 2009 का मुकदमा सं. 154। पूर्वी, जिला बलिया कार्रवाई के समान कारण पर दायर नहीं किया गया है। वर्तमान वाद में, वादी का मामला जैसा कि विकल्प में रखा गया है, यह है कि प्रतिवादी के पास एक बंधक के रूप में वाद संपत्ति का कब्जा है।

और वे बंधक राशि का आवश्यक भुगतान करके बंधक को भुनाने और कब्जा वापस लेने के लिए तैयार हैं। जिस राहत के लिए अनुरोध किया गया है वह समय की पाबंदी है या नहीं, यह निचली अदालत को उन सबूतों के आधार पर तय करना है जो पक्षकारों के नेतृत्व में हो सकते हैं। जैसा कि मोहम्मद खलील खान (ऊपर) में प्रिवी काउंसिल द्वारा देखा गया है कि यदि दोनों दावों का समर्थन करने के लिए सबूत अलग हैं तो कार्रवाई के कारण भी अलग हैं। इसलिए, सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के प्रावधानों के आधार पर उठाए गए विवाद का कोई गुण नहीं है।

61. इस मामले को एक अलग कोण से भी देखा जा सकता है। जाने दीजिए।

हम इस क्षण के लिए मान लेते हैं कि पहले मुकदमे में भी वादी ने राहत के लिए प्रार्थना की थी, बंधक के मोचन की मांग की थी जैसा कि वर्तमान मुकदमे में अनुरोध किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में भी, चाहे दोनों मुकदमों में राहत समान हो और कार्रवाई का कारण भी समान हो, सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के प्रावधान दोनों के लिए एक बाधा के रूप में काम करेंगे।

वर्तमान सूट की रखरखाव क्षमता। भुनाने का अधिकार, एक अधिनियम द्वारा गिरवी रखने वाले को प्रदान किया गया एक अधिकार है, जिससे उसे केवल उस उद्देश्य के लिए इंगित साधनों और तरीके से वंचित किया जा सकता है और इसका सख्ती से पालन किया जा सकता है। श्रीधर सदबा पोवार बनाम। गनु महादु कवाडे और अन्य ने आई. एल. आर. (1928) 52 बम 111 में रिपोर्ट किया, मोचन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन सी. पी. सी. के आदेश IX, नियम 8 के तहत खारिज कर दिया गया था। द मॉर्गेजगर मोचन के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया गया और यह तर्क दिया गया कि इसे सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। मार्टन, सी. जे. और क्रम्प, जे. ने इस याचिका को खारिज कर

दिया। विद्वान न्यायाधीशों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के पिछले फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें रामचंद्र कोलाजी पाटिल बनाम।

हनमंथा ने आई. एल. आर. (1920) 44 बॉम 939 में रिपोर्ट की, और बताया कि [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ठाकुर शंकर बक्श बनाम में प्रिवी काउंसिल का निर्णय। (1887) एल. आर. 15 आई. ए. 66 में रिपोर्ट किए गए दया शंकर और अन्य, उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि यह कानून की एक अलग स्थिति पर तय किया गया था। विट्ठल राजाराम सुतार और एक अन्य वी। रामचंद्र पांडु जाधव और ए. आई. आर. 1948 बम 226 में रिपोर्ट किए गए अन्य, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि सी. पी. सी. के आदेश XXII नियम 9 की सामान्य शर्तें, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जहां आदेश के तहत कोई मुकदमा समाप्त कर दिया गया था या खारिज कर दिया गया था, कोई नया मुकदमा नहीं लाया जाएगा उसी कार्रवाई के कारण, टी. पी. अधिनियम की धारा 60 की विशिष्ट शर्तों को ओवरराइड नहीं कर सकता है। यह बताया गया कि सी. पी. सी. सभी मुकदमों से संबंधित प्रक्रिया से निपटता है। एक विशेष कानून था जो गिरवी रखने वालों और गिरवी रखने वालों के अधिकारों से संबंधित था और वह ठोस कानून संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में पाया जाना था। उस मूल कानून ने केवल दो तरीके प्रदान किए जिनमें छुटकारे के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है और वे थेः ((i) पक्षकारों के कार्य द्वारा, या (ii) न्यायालय की डिक्री द्वारा। मोचन का अधिकार एक विद्यमान बंधक की घटना है और यह तब तक बना रहता है जब तक कि बंधक स्वयं बना रहता है। जैसा कि प्रिया रघुनाथ सिंह में प्रिवी काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था

और अन्य वी। मुसम्मत हंसराज कुंवर और अन्य ने रिपोर्ट किया

(1933-34) 61 आई. ए. 362, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 60 में दिए गए प्रावधान के अनुसार मोचन के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है और जब यह आरोप लगाया जाता है कि इसे एक डिक्री द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो डिक्री को उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सख्ती से चलना चाहिए। जब तक मोचन की इक्विटी को इस तरह समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक बंधककर्ता द्वारा मोचन के लिए दूसरा मुकदमा, यदि सीमा की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो वर्जित नहीं है।

62. इसलिए, यह इस प्रकार है कि यदि मोचन का अधिकार समाप्त नहीं किया जाता है, तो सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 9 जैसे प्रावधान समाप्त नहीं होंगे।

गिरवीदार को दूसरा मुकदमा दायर करने से रोकें क्योंकि विभाजन मुकदमे की तरह, मोचन मुकदमे में कार्रवाई का कारण आवर्ती है। प्रत्येक क्रमिक कार्रवाई में कार्रवाई का कारण, जब तक कि छुटकारे का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है या छुटकारे के लिए मुकदमा समयबद्ध नहीं हो जाता है, एक अलग है।

63. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

64. इस न्यायालय द्वारा 2009 के वाद सं. 154 की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए दिनांक 3.01.2019 का अंतरिम आदेश पारित किया गया।

सिविल जज (जे. डी.) पूर्वी जिला बलिया को खाली कर दिया गया है। 65. निचली अदालत अब सुनवाई के लिए 2009 के मुकदमा संख्या 154 पर सुनवाई करेगी और इसका जल्द से जल्द निपटारा करेगी, अधिमानतः गणेश प्रसाद।

वी. राजेश्वर प्रसाद और ओ

[जे. बी. पारदीवाला, जे.]

आज से छह महीने की अवधि के भीतर। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह दोनों पक्षों के लिए कानून के लिए उपलब्ध सभी कानूनी विवादों को उठाने के लिए खुला है।

66. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि हमने दीवानी मुकदमे के गुण-दोष के संबंध में कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। दीवानी मुकदमा होगा सख्ती से साक्ष्य के आधार पर जो कानून के अनुसार पी. ए. द्वारा नेतृत्व किया जा सकता है।

67. हमने अपने निर्णय को वर्तमान ऐप में सीमित कर दिया है।

इस सीमित प्रश्न पर कि क्या वादी को अनुमति दी जानी चाहिए, वाद में संशोधन करना चाहिए और दूसरा, क्या सी. पी. सी. के आदेश 9 के प्रावधान मामले पर लागू होते हैं।

68. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

69. लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई निपटाया जाता है।

अंकित ज्ञान

अ

पील करें

(सहायकः आदित्यराज पटोलिया, एलसीआरए)